M.A. I - Sem II

History - CC-5

History of Women Study

मध्यकालीन भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति

मध्यकाल में नागरिक कानून का आधार समाज में व्याप्त स्थानीय और परम्परागत कानून थे। ये कानून स्मृति और कुरान में वर्णित थे। महिलाओं के अधिकारों को संवेदनाओं की घोषणा (Declaration of Sentiments) के नाम से संबोधित किया गया। प्राचीन काल में धर्म, शास्त्र और आचार-संहिता को श्रुति, स्मृति और सदाचार के नियमों में सामंजित कर दिया गया था।

मध्यकाल में हिंदू महिलाओं की स्थिति में निरंतर गिरावट आई। पर्दा प्रथा, बाल-विवाह, भ्रूण हत्या जैसे कई विसंगतियां समाज में व्याप्त हो गई। विवाह के अवसर पर नाबालिक कन्या से सहमति नहीं ली जाती थी, लेकिन बालिग कन्या से सहमति ली जाती थी। हिन्दुओं के कानून धार्मिक साहित्य व धर्मशास्त्र पर आधारित थे।

इस्लामिक कानून में पर्दा प्रथा का उल्लेख है। लेकिन इस कानून में विवाह को प्रतिष्ठा का प्रतीक न मानकर 'अनुबंध या करारनामा' माना गया। जिसमें महिलाओं की सहमति आवश्यक थी।

इस्लामिक कानून ने 'मेहर' प्रथा को उचित ठहराया। इससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता

Scanned with CamScanner

महिलाओं की वैधानिक स्थिति

व्यापत रहती थी तथा परनिर्भरता नहीं रहती थी। 'मेहर' वधू के निकाह के तुरंत बाद वर पक्ष द्वारा दी गई रकम थी। मेहर की रकम सामान्यतः दोनों पक्षों के अभिभावकों द्वारा आपसी सहमति से तय की जाती थी। इसके बाद इसकी सूचना वर पक्ष को दी जाती थी। तत्पश्चात् वर के गुरु (काज़ी) को सूचित किया जाता था। शाही राजदरबार में रकम वधू पक्ष की हैसियत को देखकर तय की जाती थी। रकम प्रायः अधिक हुआ करती थी, जैसे जहांगीर ने मेहरुन्निसा को अस्सी लाख, शाहजहाँ ने अर्जुमंद बानो बेगम को 5 लाख तथा औरंगजेब ने शाहनवाज खान सफ़वी की पुत्री दिलरास बानो बेगम से निकाह के वक्त 4 लाख रुपये मेहर दी थी।

हिन्दू महिलाओं को स्त्रीधन के रूप में सम्पति अपने माता-पिता, पति एवं परिवार से प्राप्त होता था।

सम्पति सम्बन्धित अधिकार -

हिन्दू समाज में संपति संबंधी अधिकार दो स्कूलों पर आधारित थे। मिताक्षरा और दयाभाग।

मिताक्षरा कानून में दो प्रकार से दर्शाए गए है। संयुक्त परिवार की संपति और व्यक्तिगत संपति संयुक्त परिवार की संपति वंशानुगत संपति थी, जो पिता के 3 पुश्तों से होकर आ रहे थे। इसे

Scanned with CamScanner

महिलाओं की वैधानिक स्थिति

सिर्फ पुरुष ही ले सकते थे। महिलाओं को इसपर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन सब संपत्ति का विभाजन हो जाता था, और यह व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में परिणत हो जाती थी, तब पुत्ररहित विधवा अपने पति के हिस्से को ले सकती थी।

दयाभाग कानून मुख्यतः बंगाल में प्रचलित था। मिताक्षरा, मिथिला, बनारस, बम्बई और द्रविड़ में प्रचलित थी। दयाभाग कानून में पति की संपत्ति पर महिला का पूर्ण अधिकार था। महिलाओं को संयुक्त संपत्ति में भी हिस्से मिलते थे। इसे स्त्रीधन समझा जाता था।

साधारणतः महिलाएं अपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी तभी हो सकती थीं जब पिता पुत्ररहित हो। पुत्ररहित विधवा अपने पति की सारी सम्पत्ति की वारिस होती थी।

विवाहित मुस्लिम महिलाओं को पिता के घर से संपत्ति में भूमि मिलती थी, जो उनके नाम पर होती थी। इसपर पति का कोई अधिकार नहीं होता था। मुस्लिम विधवा को अपने पति की सम्पत्ति पर अधिकार होता था। अपने पुत्र या पौत्र के जीवित रहने पर संपत्ति के 1/8 भाग की अधिकारिणी होती थी। अगर वह संतानहीन रहती थी तब संपत्ति के 1/4 भाग की अधिकारिणी थी। इस्लामिक कानून के अनुसार वे संपत्ति का क्रय-विक्रय कर सकती थी। वे व्यापार कर सकती थीं, तथा न्याय के लिए न्यायालय की शरण ले सकती थीं।

Scanned with CamScanner

महिलाओं की वैधानिक स्थिति

तमिलनाडु के अभिलेखों से दक्षिण भारतीय महिलाओं के अधिकारों की जानकारी मिलती है। आन्ध्रप्रदेश में पुत्री को विवाह के समय दिया दी जाने वाली भूमि कतनम कहलाती थी। जिसे वह आजीवन उपभोग करती थी। कर्नाटक क्षेत्र की महिलाएं अपनी माता की सम्पत्ति का 12% की हकदार होती थीं, जो बाद में पुत्री के नाम से कर दिया जाता था। धारवाड़ क्षेत्र की शुद्र महिलाओं को भी तलाक, पुनर्विवाह और संपत्ति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त थे।

इस प्रकार हर क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर कानूनवेत्ताओं ने कानून बनाए थे।

——— 00 ———

K. Kumar
Deptt of Hist